

प्रेषक,

वी०एस० पुन्डीर,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डेरी विकास विभाग,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

पशुपालन अनुभाग-02

देहरादून, दिनांक: 28 मार्च, 2018

विषय:- सेवा का अधिकार अधिनियम-2011 के अन्तर्गत नागरिकों को प्रदान की जा रही सेवाओं को समयबद्ध रूप से प्रदान किए जाने हेतु सिटीजन चार्टर निर्मित किये जाने के संबंध में।


महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-608 /XV-2 /07(29) /2010, दिनांक 09 नवम्बर, 2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सेवा का अधिकार अधिनियम-2011 के अन्तर्गत डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड का नागरिक अधिकार पत्र प्राप्त निर्देशों के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर तैयार कर, उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी, जो कि आतिथि तक अप्राप्त है।

इस संबंध में पुनः उप सचिव, सुराज, भ्रष्टाचार, उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-73/XLIII(1)/17-20(05)/16, दिनांक 15 मार्च, 2018 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्राथमिकता के आधार पर सेवा का अधिकार अधिनियम-2011 के अन्तर्गत अपने विभाग में सिटीजन चार्टर तैयार कर, विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने के साथ ही, उसकी एक प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न : यथोपरि।

भवदीय,


(वी०एस० पुन्डीर)
उप सचिव।